

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या - 53/1e-933

तारीख 22-5-78

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 53/1e / 2019 पत्थरगढी बाबत।

01. नाथुलाल पिता देबीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बृजपुरा तहसील  
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम


01. लक्ष्मीदेवी पत्नि दिनेश कुमार जाति जाटव उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी हेमनिवास तहसील  
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
02. सुरेश पिता गोपीराम जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ तहसील  
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
03. घनश्याम पिता गोपीराम जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ तहसील  
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
04. उदानाथ पिता नाथुनाथ जाति कालबेलिया उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी किशनपुरिया  
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
05. कानानाथ पिता नाथुनाथ जाति कालबेलिया उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी किशनपुरिया  
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा  
किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 75 पर  
अंकित आराजी संख्या 19 रकबा 7-17 बीघा भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की  
जावे। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी  
कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश  
पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कंला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।  
कमिश्नर फीस 500/- तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा  
बिजौलियाँ